ऑन लाईन नं. GCMS 2025/117

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 29/2025

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अंग्रेज सिंह पुत्र श्री केवल सिंह(विक्रेता व मेनेजर), निवासी वार्ड न. 4, बीपीओ दुल्लापुर केरी, चक 5 डी बड़ी, श्रीगंगानगर, मै. ऐ–स्क्वेयर लोंज, ब्लॉक सी, रिद्धी सिद्धी आई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर।
2. श्री अजय आहुजा पुत्र श्री पूर्णचंद, (मालिक), निवासी वार्ड न. 20, सेतिया कॉलोनी, गली न. 10, श्रीगंगानगर, मै. ऐ–स्क्वेयर लोंज, ब्लॉक सी, रिद्धी सिद्धी हाई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

दिनांक: 26.09.2025

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक– संख्या प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप–3/ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2024 को समय शाम 05.30 पीएम बजे को **मैसर्स ऐ–स्क्वेयर लोंज, ब्लॉक सी, रिद्धी सिद्धी हाई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र श्री केवल सिंह (विक्रेता व मेनेजर)** को अपना परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण कर संस्थान में स्टील टैंक में लगभग 12 किलोग्राम रखे खाद्य पदार्थ **राईस(लूज)** के बारे मे जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मैनेजर बताया तथा संस्थान में रखे स्टील टैंक में लगभग 12 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **राईस(लूज)** को रसोई भंडार में तैयार कर आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ में गुणवत्ताहीन का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ **राईस(लूज)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मेनेजर तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र श्री केवल सिंह (विक्रेता व मेनेजर)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मेनेजर **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र**

अति0 जिला कलेक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

श्री केवल सिंह (विक्रेता व मेनेजर) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान के कारखाने का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु रखे स्टील टैंक में लगभग 12 किलोग्राम खाद्य पदार्थ राईस(लूज) में से जिसमें 04 किलोग्राम को वजनी कर विकेता से खरीद कर लिया। विकेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ राईस(**लूज**) का नगद भुगतान 320 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विकेता व प्रोपराईटर तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **राईस(लूज)** को एकरुप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2502** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–2502 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मैनेजर के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मैनेजर तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र श्री केवल सिंह (विक्रेता व मेनेजर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1264/Act/2024/1264 Dated 23-10-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2502 Unsafe Food** होना पाया गया। स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः जांच हेतु अप्रार्थी को सूचित किया गया, जिस पर मालिक ने रेफरल फूड लेब से जांच करवाने हेतु आवेदन किया। रेफरल फूड लेब से जांच

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हेतु आवेदन करने के पश्चात रेफरल फूड लेबोरेट्री, पूने द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक RFL/P/DO-48/25/78/2025 Dated 24.01.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2502 Substandard Food** होना पाया गया।

इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र श्री केवल सिंह(विक्रेता व मेनेजर), निवासी वार्ड न. 4, बीपीओ दुल्लापुर केरी, चक 5 डी बड़ी, श्रीगंगानगर, मै. ऐ–स्क्वेयर लोंज, ब्लॉक सी, रिद्धी सिद्धी आई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर और श्री अजय आहुजा पुत्र श्री पूर्णचंद, (मालिक), निवासी वार्ड न. 20, सेतिया कॉलोनी, गली न. 10, श्रीगंगानगर, मै. ऐ–स्क्वेयर लोंज, ब्लॉक सी, रिद्धी सिद्धी हाई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **राईस(लूज)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 09.05.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्तगण ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा दौराने निरीक्षण ही यह बता दिया था कि उक्त लूज राईस जो कि मै. केआरटी फूड नई धानमंडी श्रीगंगानगर से खरीद किया गया था और उक्त खरीदशुदा माल का बिल मौका पर ही खाद्य निरीक्षक को सुपुर्द कर दिया था। उनके द्वारा न तो उक्त दुकान मै. केआरटी फुड नई धान मंडी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध कोई कार्यवाही की, क्योंकि उक्त पदार्थ का विक्रय मै. केआरटी के द्वारा किया गया था और न ही उस उत्पादक के विरूद्ध खाद्य निरीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही की गई और न ही उसे पार्टी बनाया गया। जिसके द्वारा उक्त पदार्थ का उत्पादन किया गया या जिससे उसके द्वारा बीज की खरीद कर पैदावार की गई। अप्रार्थीगण गरीब आदमी है और खाना परोसकर अपना गुजर बसर करते हैं। अप्रार्थीगण जो कि निर्दोष है जिनका न तो उक्त राईस के सबस्टेडंर्ड होने की जानकारी नहीं थी और न ही इसका ज्ञान था। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण निर्दोष है और न ही उनके द्वारा कोई ऐसी मंशा प्रतीत होती है जिससे कि आमजन के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़े। प्रार्थीगण के विरूद्ध परिवाद को सव्यव खारिज फरमाया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **राईस(लूज)** का सैम्पल **K-2502** रेफरल फूड लेबोरेट्री, पूने द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक RFL/P/DO-48/25/78/2025 Dated 24.01.2025 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्‌य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण ने जरिए अधिवक्ता अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण गरीब आदमी है और खाना परोसकर अपना गुजर बसर करते हैं। अप्रार्थीगण जो कि निर्दोष है जिनका न तो उक्त राईस के सबस्टेडंर्ड होने की जानकारी नहीं थी और न ही इसका ज्ञान था। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण निर्दोष है और न ही उनके द्वारा कोई ऐसी मंशा प्रतीत होती है जिससे कि आमजन के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़े। प्रार्थीगण के विरूद्ध परिवाद को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Rice(Loose)"** bearing Code No and Sr. No. **K-2502, Does not Conforms to the standard of Rice** as per Regulation No. 2.4.6(24)(2) of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 and further amendments, on the basis of tests performed. Hence found to be Sub-standard as per section 3(1)(zx) of Food Safety & Standard Act2006. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र श्री केवल सिंह(विक्रेता व मेनेजर), निवासी वार्ड न. 4, बीपीओ दुल्लापुर केरी, चक 5 डी बड़ी, श्रीगंगानगर, मै. ऐ–स्क्वेयर लोंज, ब्लॉक सी, रिद्धी सिद्धी आई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर और श्री अजय आहुजा पुत्र श्री पूर्णचंद, (मालिक), निवासी वार्ड न. 20, सेतिया कॉलोनी, गली न. 10, श्रीगंगानगर, मै. ऐ–स्क्वेयर लोंज, ब्लॉक सी, रिद्धी सिद्धी हाई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र श्री केवल सिंह(विक्रेता व मेनेजर), निवासी वार्ड न. 4, बीपीओ दुल्लापुर केरी, चक 5 डी बड़ी, श्रीगंगानगर, मै. ऐ–स्क्वेयर लोंज, ब्लॉक सी, रिद्धी सिद्धी आई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर और श्री अजय आहुजा पुत्र श्री पूर्णचंद, (मालिक), निवासी वार्ड न. 20, सेतिया कॉलोनी, गली न. 10, श्रीगंगानगर, मै. ऐ–स्क्वेयर लोंज, ब्लॉक सी, रिद्धी सिद्धी हाई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

Scanned with OKEN Scanner